दिनांक 08.06.2021
प्रेस विज्ञप्ति 08/21

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>कमिश्नरेट लखनऊ/थाना गाजीपुर</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित सहित 09 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **97 हजार 500 रूपये नगद**
- **04 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित 02 खोखा कारतूस**
- **01 अवैध पिस्टल, 03 जीवित 01 खोखा कारतूस**
- **10 मोबाइल फोन, 03 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 08.06.2021 को थाना गाजीपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पॉलिटेक्निक चौराहे के पास चेकिंग के दौरान पुलिस कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1–मो0 कासिफ अंसारी सहित 09 अभियुक्त 2–आशीष 3–निजाम 4– सोनू 5–जयसूर्या 6–शुभम 7–विवेक 8–प्रेम 9–हर्षवर्धन को गिरफ्तार कर डकैती की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 97 हजार 500 रूपये नगद, 04 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित 02 खोखा कारतूस, 01 अवैध पिस्टल, 03 जीवित 01 खोखा कारतूस, 10 मोबाइल फोन, 03 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके विरूद्ध कमिश्नरेट लखनऊ व कानपुर नगर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, डकैती, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त मो0 कासिफ अंसारी थाना चौक में पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना गाजीपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मो0 कासिफ अंसारी निवासी जवाहरनगर हाथीपार्क डालीगंज थाना वजीरगंज लखनऊ।
2—आशीष निवासी 645/010 थाना जानकीपुरम लखनऊ।
3—निजाम निवासी नई बस्ती नबीउल्ला रोड थाना वजीरगंज लखनऊ।
4— सोनू निवासी अलीनगर थाना माडियाव लखनऊ।
5—जयसूर्या निवासी गौरभीट थाना माडियाव लखनऊ।
6—शुभम निवासी 545/25डी त्रिवेणीनगर 03 थाना अलीगंज लखनऊ।
7—विवेक निवासी 6/247ई विपुलखण्ड थाना गोमतीनगर लखनऊ।
8—प्रेम निवासी अलीनगर नरहरापुरा घैला थाना माडियाव लखनऊ।
9—हर्षवर्धन निवासी नन्दौपारा थाना रामनगर बाराबंकी, हालपता हनुमंतपुरम दित्तीय निकट जगलाल पेट्रोलपम्प थाना मडियाव लखनऊ।

बरामदगी

1—97 हजार 500 रूपये नगद।
2—04 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित 02 खोखा कारतूस।
3—01 अवैध पिस्टल, 03 जीवित 01 खोखा कारतूस।
4—10 मोबाइल फोन।
5—03 मोटर साइकिल।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना पारा

- **07 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी का 01 लोडर वाहन**
- **चोरी की 13 दो पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 08.06.2021 को थाना पारा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कुल्लहड़ कट्टा नहर पुलिया के पास से 07 अभियुक्तों 1—जितेन्द्र 2—सद्दाम 3—मदन 4—राजकुमार 5—दिव्याशू उर्फ सुधाशूं 6—अनिल कुमार 7—संगीत को

गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी का 01 लोडर वाहन, 13 दो पहिया वाहन बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं जो कमिश्नरेट लखनऊ, कानपुर नगर व जनपद उन्नाव के आस–पास के क्षेत्रो से वाहन चोरी कर उसके नम्बर प्लेट बदल कर ग्रहक मिलने पर बेच देते है।

इस सम्बन्ध में थाना पारा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–जितेन्द्र निवासी भूरीदेवी चौराहा, चौकी किला कोतवाली सदर जनपद उन्नाव।

2–सद्दाम निवासी सहदरा नहर तिराहा थाना पारा लखनऊ।

3–मदन निवासी मागा पट्टी थाना खोराबार जनपद गोरखपुर।

4–राजकुमार निवासी चकलबन्सी थाना माखी जनपद उन्नाव।

5–दिव्याशू उर्फ सुधाशूं निवासी लोकैइया खेड़ा कस्बा व थाना मौरांवा जनपद उन्नाव।

6–अनिल कुमार निवासी वार्ड नं0–2 पटकी टोला थाना मौरांवा जनपद उन्नाव।

7–संगीत निवासी वार्ड नं0–2 पटकी टोला थाना मौरांवा जनपद उन्नाव।

बरामदगी

1–चोरी का 01 लोडर वाहन।

2–चोरी की 13 दो पहिया वाहन।

जनपद मीरजापुर/थाना कोतवाली देहात

- **25–25 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 08.06.2021 को थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर आमघाट रेलवे क्रासिंग के पास से 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्तों 1–अमन 2–अर्पित को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत मु0अ0सं0—312/2020 धारा 302/120 बी भादवि में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25—25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अमन निवासी मोरहू थाना सोरावं जनपद प्रयागराज, (हालथाना फाफामऊ)।

2—अर्पित निवासी मोरहू थाना सोरावं जनपद प्रयागराज, (हालथाना फाफामऊ)।

जनपद चित्रकूट/थाना कर्वी

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 08.06.2021 को थाना कर्वी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर खोही तिराहे से पुरस्कार घोषित अभियुक्त रामशरण उर्फ राजा उर्फ फ्राड को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कर्वी पर पंजीकृत मु0अ0सं0—08/2018 धारा 379 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कर्वी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रामशरण उर्फ राजा उर्फ फ्राड निवासी चुवाखेरवा थाना बरौंधा जनपद सतना, म0प्र0।

जनपद आगरा/थाना हरीपर्वत

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 07.06.2021 को थाना हरीपर्वत पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पालीवाल पार्क के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त मुस्तकीम उर्फ मटोर को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद आगरा के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है तथा अभियुक्त थाना न्यू आगरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0—661/2018 धारा 379 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना हरीपर्वत पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मुस्तकीम उर्फ मटोर निवासी वजीरपुरा जनपद आगरा।

जनपद हरदोई/थाना कोतवाली देहात

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 08.06.2021 को थाना कोतवाली देहात व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम कौढ़ा स्कूल के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त भारत उर्फ विवेक को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद हरदोई जनपद कन्नौज के विभिन्न थानो में डकैती, लूट, चोरी, एनडीपीएस एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत मु0अ0सं0 361/2021 धारा 223/224 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–भारत उर्फ विवेक निवासी बलनपुर थाना तिरवा जनपद कन्नौज।

<u>जनपद बिजनौर/थाना चॉदपुर</u>

- **15–15 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 अवैध तमंचा 12 बोर, 04 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 07.06.2021 को थाना चॉदपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम अकौन्धा तिराहा से 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्तों 1–सुरेन्द्र 2–परवेन्द्र कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 अवैध तमंचा 12 बोर, 04 जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना चॉदपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 291/2021 धारा 147/148/149/302/34/504/506 भादवि में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15–15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना चॉदपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–सुरेन्द्र निवासी ग्राम बसेडा थाना चॉदपुर जनपद बिजनौर।

2–परवेन्द्र कुमार निवासी ग्राम बसेडा थाना चॉदपुर जनपद बिजनौर।

<u>बरामदगी</u>

1–02 अवैध तमंचा 12 बोर, 04 जीवित कारतूस।

<u>जनपद बिजनौर/थाना अफजलगढ़</u>

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 08.06.2021 को थाना अफजलगढ़ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भूतपुरी तिराहा के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त लवकुश को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना अफजलगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 111/2021 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना अफजलगढ़ पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–लवकुश निवासी हरजी पट्टी रायपुर थाना उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड।

<u>जनपद सम्भल/थाना नखासा</u>

- **10–10 हजार रूपये के 03 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 08.06.2021 को थाना नखासा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रायसत्ती प्राइवेट बस अड्डा के पास से 03 पुरस्कार घोषित अभियुक्तों 1–अकरम 2–युसुफ 3–मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिसमें अभियुक्त अकरम के विरूद्ध जनपद सम्भल व बिजनौर के विभिन्न थानों पर सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना असमोली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 104/2021 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10–10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना नखासा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अकरम निवासी ग्राम मसीत थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।

2–युसूफ निवासी मन्सूरपुर माफी थाना असमोली जनपद सम्भल।

3–मुजम्मिल निवासी ककराली थाना डिडौली जनपद अमरोहा।

जनपद सहारनपुर/थाना जनकपुरी

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर 01 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 07.06.2021 को थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भरत वाटिका कालोनी के सामने बन्द पडे निर्माणाधीन मॉल के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त वसीम उर्फ मॉडल जान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर 01 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का टॉपटेन अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद सहारनपुर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गुण्डा एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, सीएस एक्ट आदि के 13 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना जनकपुरी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 252/2020 धारा 307 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना जनकपुरी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–वसीम उर्फ मॉडल जान निवासी नई बस्ती खान आलमपुरा थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर.

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर 01 जीवित कारतूस।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना तितावी

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **03 अवैध 315 बोर, 06 जीवित, 01 खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर की) बरामद**

दिनांक 07.06.2021 की रात्रि थाना तितावी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रजवाहे की पटरी पर मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–इरफान उर्फ फाना 2–सलीम घायल हो गये, जिन्हे अभियुक्त 3–चॉद उर्फ चॉदू उर्फ चना सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 03 अवैध तमंचा 315 बोर, 06 जीवित, 02 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर की) बरामद हुई। घायलों को इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त इरफान उर्फ फाना के विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानों पर चोरी, डकैती, लूट, हत्या, हत्या का प्रयास, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 17 अभियोग, अभियुक्त सलीम के विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानों पर लूट, डकैती, हत्या, हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग व अभियुक्त चॉद उर्फ चांदू उर्फ चना के विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानों पर हत्या, हत्या का प्रयास, चोरी, लूट, डकैती, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के एक दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना तितावी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—इरफान उर्फ फाना निवासी नई आबादी खालापार थाना कोतवालीनगर जनपद मुजफ्फरनगर।

2—सलीम निवासी ग्राम महल थाना इंचौली जनपद मेरठ।

3—चॉद उर्फ चॉदू उर्फ चना निवासी ग्राम महल थाना इंचौली जनपद मेरठ।

<u>बरामदगी</u>

1—03 अवैध तमंचा 315 बोर, 06 जीवित, 02 खोखा कारतूस।

2— 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर की)।

<u>जनपद सीतापुर/थाना कोतवाली नगर/रामकोट (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 01 करोड़ 05 लाख रूपये कीमत की सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही)</u>

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा गैंग बनाकर अपराध कारित करने वाले अपराधी नफीस द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत लगभग 01 करोड़ 05 लाख रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

एसटीएफः शासन से सरकारी अनुदान दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले जालसाज को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार।

दिनांक 07—06—2021 को एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को शासन से शादी व विकलांगता के लिए अनुदान दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले जालसाज को उत्तराखण्ड से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः

1- इस्लाम पुत्र इन्तजार नि० ज्वालापुर भैसिया, थाना-बिलासपुर, रामपुर उत्तर प्रदेश।

कुल बरामदगीः

1— 01 अदद मोबाईल।

2— 01 विकलांग परिचय पत्र।

अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र दिनांक 28—05—2021 द्वारा अपर पुलिस महानिदेशक, एसटीएफ उ0प्र0 लखनऊ को अवगत कराया गया था कि डा0 भीम राव अम्बेडकर जन कल्याण सेवा समिति द्वारा कथित फर्जी रूप से संचालित जिला रामपुर शादी अनुदान व रोजगार कल्याण योजना केन्द्र लखनऊ के हस्ताक्षर सें निर्गत मुख्यमन्त्री कार्यालय को प्राप्त फर्जी चेक प्राप्त हुए है, के सम्बन्ध में जॉच कराकर कार्रवाई किये जाने की अपेक्षा की गयी थी। जिसके अनुपालन में एसटीएफ फील्ड इकाई, बरेली को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था।

निरीक्षक श्री अजय पाल सिंह, एसटीएफ फील्ड इकाई, बरेली द्वारा इस प्रकरण की जॉच के दौरान जिन लोगों के चेक बाउन्स हुए थे उनसे ज्ञात हुआ कि रामपुर के जिला अस्पताल में इस्लाम हुसैन नाम का एक व्यक्ति मिला जों पेंशन बधवाने और लडकियों की शादी के लिये शासन से जो अनुदान दिलाने के नाम पर कुछ लोगों को एक फार्म भरने को दिया और बोला कि शासन से 3,80,000/— रूपये के हिसाब से अनुदान दिलवायेगे। कुछ दिन बाद इनके घर पर रजिस्ट्री से 3,80,000/— रूपये के 04 चेक आया जो उत्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालय ,डा0 भीमराव अम्वेडकर जन कल्याण सेवा समिति द्वारा संचालित जिला रामपुर शादी अनुदान व रोजगार कल्याण योजना केन्द्र लखनऊ उ0प्र0 जिला मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया।

इन चेकों को जब बैक में लगाया गया तो सभी चैक बाउन्स हो गये, तब इस्लाम हुसैन से सम्पर्क किया गया तो उसने बताया कि चेक में कुछ कमी थी इसलिये बाउन्स हो गये। मैं पैसा तुम

लोगों के साधे बैक खाते में ही डलवा देगें। इस काम को करवाने के लिये उसने इन 04 लोगों से कई बार में प्रत्येक से लगभग 50 हजार रूपये अपने पेटीएम और बैक अकाउन्ट में डलवा लिया। इसके बाद उसने इन लोगों का फोन उठाना बन्द कर दिया और नम्बर को ब्लैक लिस्टेड कर दिया।

इस छानबीन पर इस्लाम हुसैन के बारे में पता किया तो ज्ञात हुआ कि वह ज्वालापुर भैसिया थाना–विलासपुर रामपुर का रहने वाला है। जो पैरो से विकलांग है और अपने को बी0ए0एम0एस0 डाक्टर बताता है, जो वर्तमान में उत्तराखण्ड के रामनगर में अपनी ससुराल गुल्लर घाटी में रह रहा है। इस्लाम हुसैन को जॉच हेतु टीम को भेज कर बुलाया गया और उससे पूछताछ की गयी तो उसने बताया कि मैं लोगों से शादी के लिए अनुदान के नाम पर फार्म भरवाता हूॅ और फर्जी चैक जन सेवा केन्द्र से उ0प्र0 मुख्यमन्त्री कार्यालय डा0 भीमराव अम्वेडकर जन कल्याण सेवा समिति द्वारा संचालित जिला रामपुर शादी अनुदान व रोजगार कल्याण योजना केन्द्र लखनऊ उ0प्र0 जिला मुख्य विकास अधिकारी का फर्जी पत्र लोगों के घरों पर रजिस्ट्री कर देता हूॅ। इस्लाम हुसैन ने स्वीकार किया कि वह शादी का अनुदान देने के नाम पर कूटरचित पत्र व 04 चेक तैयार कर इन लोगों के घर पर रजिस्ट्री किया था, जो बाउन्स हो गया। इस पर उसे उसके द्वारा किये गये अपराध के बारे में बताते हुए गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध थाना गंज, रामपुर पर मु0अ0सं0 208/2021 धारा 419/420/467/468/471 भा0द0वि0 का अभियोग पंजीकृत कराया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

———––